भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1011
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सेवाएं

1011. **श्री बाबू सिंह कुशवाहाः**
श्री अजेन्द्र सिंह लोधी:
श्री लालजी वर्मा:
श्रीमती रुचि वीरा:
श्री नीरज मौर्य:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कई आंगनवाड़ी केंद्रों में स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल निगरानी प्रणाली और अन्य आधुनिक सुविधाएं अभी भी प्रभावी रूप से उपलब्ध नहीं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही इन सुविधाओं से पूर्णतया युक्त तथा इनसे वंचित जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में वर्ष 2025-26 के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत की गई और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है, तथा स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पक्की इमारतों, बिजली और डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता वाले केंद्रों की राज्य-वार/जिले-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार को जौनपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को नियत पोषण समय पर मिलने में बाधा डालने वाली पोषण सप्लीमेंट की आपूर्ति, गुणवत्ता और वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित सेवा का दर्जा देने, उनका मानदेय बढ़ाने और उसे सीपीआई से जोड़ने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के तहत, फील्ड कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम (पोषण ट्रैकर) का उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन

और इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु डेटा रिचार्ज फंड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों की वृद्धि मापने के लिए देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में योजना के तहत चार ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी उपलब्ध कराए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी प्रतिस्थापन नीति के अनुसार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक 4 वर्ष में स्मार्टफोन और वृद्धि निगरानी उपकरणों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। बच्चों में बौनापन, दुबलापन, अल्प वजन के व्याप्तता की गतिशील पहचान के लिए पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई कार्यकलाप, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम)/टेक होम राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं), विकास मापन इत्यादि के लिए लगभग तत्समय डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान की है। लाभार्थियों की संख्या और आंगनवाड़ी सेवाओं से संबंधित अन्य जानकारी पर पोषण ट्रैकर डेटा https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

मिशन के अंतर्गत दो लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर पोषण प्रदान करने और ईसीसीई गतिविधियों के लिए सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नयन करने के लिए अनुमोदित किया गया है। ये आंगनवाड़ी केंद्र एलईडी स्क्रीन, जल निस्पंदन प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) सामग्री और बिल्डिंग एज लर्निंग एड (बाला) पेंटिंग जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं। अनुमोदित सक्षम आंगनवाड़ियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

वर्ष 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित निधि का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, मिशन पोषण 2.0 के तहत शिकायत दर्ज करने के तीन माध्यम उपलब्ध हैं; समर्पित पोषण हेल्पलाइन 1515, पोषण ट्रैकर ऐप/डैशबोर्ड में लाभार्थी निवारण मॉड्यूल और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)। पोषण हेल्पलाइन 1515 (पूर्व में 14408) अप्रैल 2025 से कार्यशील है, जिसमें केंद्रीकृत शिकायत निवारण और लाभार्थी सहायता प्रदान करने के

लिए 125 सीटों वाला कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर 17 भाषाओं में कार्य कर रहा है। पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में लाभार्थी निवारण मॉड्यूल और डैशबोर्ड में शिकायत, अपील और नागरिक प्रतिक्रिया की व्यवस्था है। प्रति दिन औसतन लगभग 3,200 कॉल का उत्तर दिया जाता है। सभी शिकायतों की तुरंत जांच की जाती है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जाता है।

समय-समय पर, भारत सरकार और राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय और प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के लिए प्रावधान करती हैं जिसका विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या
1	नागालैंड	149
2	मणिपुर	30
3	लद्दाख	14
4	चंडीगढ़	69
5	सिक्किम	435
6	अरुणाचल प्रदेश	152
7	आंध्र प्रदेश	9958
8	असम	5407
9	मिजोरम	1600
10	मेघालय	121
11	कर्नाटक	17732
12	त्रिपुरा	474
13	महाराष्ट्र	14,745
14	गोवा	24
15	जम्मू एवं कश्मीर	338
16	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	140
17	लक्षद्वीप	18
18	उत्तर प्रदेश	23697
19	तमिलनाडु	11972
20	पुदुच्चेरी	135
21	केरल	4152
22	उत्तराखंड	827
23	छत्तीसगढ	11490
24	पश्चिम बंगाल	5359
25	मध्य प्रदेश	24662
26	ओडिशा	12140
27	बिहार	11529
28	तेलंगाना	5008
29	गुजरात	13147
30	राजस्थान	3514
31	झारखंड	16775
32	हिमाचल प्रदेश	1030
33	पंजाब	353
34	हरियाणा	2804
कुल		**2,00,000**

अनुलग्नक-II

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत निधि का विवरण (करोड़ रुपये)		
क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**2025-26**
		जारी निधि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8.1
2	आंध्र प्रदेश	759.76
3	अरुणाचल प्रदेश	118.5
4	असम	1548.67
5	बिहार	905.43
6	चंडीगढ़	9.87
7	छत्तीसगढ़	518.22
8	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	5.92
9	दिल्ली	150.21
10	गोवा	19.74
11	गुजरात	699.13
12	हरियाणा	67.12
13	हिमाचल प्रदेश	328.59
14	जम्मू एवं कश्मीर	401.62
15	झारखंड	429.26
16	कर्नाटक	863.64
17	केरल	283.81
18	लद्दाख	16.41
19	लक्षद्वीप	0.82
20	मध्य प्रदेश	937.45
21	महाराष्ट्र	1405.45
22	मणिपुर	199.99
23	मेघालय	182.04
24	मिजोरम	52.69
25	नागालैंड	146.29
26	ओडिशा	911.27
27	पुदुच्चेरी	4.02
28	पंजाब	190.73
29	राजस्थान	843.51
30	सिक्किम	18.21
31	तमिलनाडु	636.6
32	तेलंगाना	209.2
33	त्रिपुरा	154.73
34	उत्तर प्रदेश	2145.42
35	उत्तराखंड	271.05
36	पश्चिम बंगाल	1333.9
कुल		**16,777.37**

अनुलग्नक III

राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जाता है			
क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र**	**2026-27** आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	**2026-27** आंगनवाड़ी सहायिका
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,500	5,750
2	आंध्र प्रदेश	7,000	4,750
3	अरुणाचल प्रदेश	3,000	3,000
4	असम	3,500	1,750
5	बिहार	4,500	2,250
6	चंडीगढ़	3,600	1,800
7	छत्तीसगढ़	5,500	2,750
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3,500	1,750
9	दिल्ली	6,720	3,360
10	गोवा	15,000-23,000	8,500-11,500
11	गुजरात	5,500	3,250
12	हरियाणा	10,250	5,650
13	हिमाचल प्रदेश	6,000	3,550
14	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
15	झारखंड	7,000	3,500
16	कर्नाटक	8,000	5,250
17	केरल	8,300	6,800
18	लद्दाख	1,300	650
19	लक्षद्वीप	5,500	4,750
20	मध्य प्रदेश	8,500	4,250
21	महाराष्ट्र	8,500	5,250
22	मणिपुर	1,000	600

23	मेघालय	3,000	1,000
24	मिजोरम	950	725
25	नागालैंड	शून्य	शून्य
26	ओडिशा	5,500	2,750
27	पुदुच्चेरी	1,950	2,125
28	पंजाब	5,000	2,850
29	राजस्थान	6,061	4,041
30	सिक्किम	7,000	4,500
31	तमिलनाडु	9,780	6,270
32	तेलंगाना	9,150	5,550
33	त्रिपुरा	5,946-3,500	4,218-2,750
34	उत्तर प्रदेश	1,500	750
35	उत्तराखंड	4,800	3,000
36	पश्चिम बंगाल	4,500	4,550
